Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 12/2016 सी.आई.एस.क्र.– 14312/2016

सीता देवी बनाम दीपक यादव

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12.01.2026	वादी एवं प्रतिवादी 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04.01.2025 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से पूर्व में दस्तावेज ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु टंकक की त्रुटि के कारण उक्त आवेदन में स्वत्व वाद सं0 125/2010 के स्थान पर स्वत्व वाद सं0 105/2010 अंकित हो गया था जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2025 को आदेश पारित हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी के दिनांक 23.04.2025 के आवेदन एवं न्यायालय के दिनांक 23.05.2025 के आदेश में स्वत्व वाद सं0 105/2010 सुधार कर स्वत्व वाद सं0 125/2010 संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से यह आवेदन आदेश पारित किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से यह आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 23.04.2025 को दस्तावेज ग्रहण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें दस्तावेज स्वत्व वाद सं0 105/2010 का वाद पत्र गलत अंकित हो गया था जिस कारण से दिनांक 23.05.2025 को पारित आदेश में भी स्वत्व वाद सं0 125/2010 के स्थान पर स्वत्व वाद सं0 105/2010 अंकित हो गया है जबकि दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी की ओर से स्वत्व वाद सं0 125/2010 के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है परंतु दस्तावेज की सूची में स्वत्व वाद सं0 125/2010 की जगह स्वत्व वाद सं0 105/2010 त्रुटिपूर्ण अंकित है। यह संशोधन सामान्य प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। ऐसी दशा में न्यायहित में प्रतिवादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर कार्यालय एवं प्रतिवादी को आदेश दिनांक 23.05.2025 एवं प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 04.07.2025 एवं दस्तावेज की सूची दिनांक 23.04.2025 में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 03.02.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	